

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

मांग संख्या 85

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

क. वस्तुओं को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	3612.42	451.98	4064.40	4342.35	474.37	4816.72	4142.54	481.03	4623.57	4172.00	552.83	4724.83
पूँजी	3.73	...	3.73	10.15	...	10.15	7.50	...	7.50	28.00	...	28.00
जोड़	3616.15	451.98	4068.13	4352.50	474.37	4826.87	4150.04	481.03	4631.07	4200.00	552.83	4752.83
ब.अ. 2016-2017												
<i>1. सचिवालय – सामान्य सेवा</i>												
1.01 सचिवालय – आर्थिक सेवा-सांख्यिकी	3451	23.26	23.26
1.02 सचिवालय – आर्थिक सेवा-कार्यक्रम क्रियान्वयन	2052	6.97	6.97
जोड़- सचिवालय – सामान्य सेवा	30.23	30.23
<i>2. संलग्न/अधीनस्थ कार्यालय को सहायता</i>												
2.01 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (संलग्न कार्यालय)	3454	44.45	44.45
2.02 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (अधीनस्थ कार्यालय)	3454	289.34	289.34
जोड़- संलग्न/अधीनस्थ कार्यालय को सहायता	333.79	333.79
<i>3. क्षमता विकास (सीडी)</i>												
3.01 सीएसओ और एनएसएसओ का क्षमता विकास	2552	9.00	...	9.00
	3454	97.49	...	97.49
	5475	28.00	...	28.00
जोड़	134.49	...	134.49
3.02 आर्थिक गणना (ईसी)	2552
	3454	0.50	...	0.50
	3601	5.01	...	5.01
जोड़	5.51	...	5.51
3.03 सांख्यिकी सुदृढीकरण के लिए	3601	5.00	...	5.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
सहायता													
3.03.01 एसएसएस कार्यक्रम घटक	2552	1.00	...	1.00
	3454
जोड़	1.00	...	1.00
जोड़	1.00	...	1.00
3.03.02 ईएपी घटक	2552	4.00	...	4.00
	3601	20.00	...	20.00
जोड़	24.00	...	24.00
जोड़- सांख्यिकी सुदृढीकरण के लिए सहायता	30.00	...	30.00
जोड़- क्षमता विकास (सीडी)	170.00	...	170.00
4. भारतीय सांख्यिकी संस्थान को सहायता अनुदान (आईएसआई)	2552	16.00	...	16.00
	3454	64.00	188.81	252.81
जोड़	80.00	188.81	268.81
5. संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्रों के लिए विकास	2553	3950.00	...	3950.00
सं.अ. 2015-2016													
सांख्यिकी													
6. सचिवालय – आर्थिक सेवा	3451	...	17.71	17.71	...	17.50	17.50	...	19.75	19.75
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी													
7. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण	3454	...	245.89	245.89	...	252.60	252.60	...	252.18	252.18
8. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन	3454	83.93	27.41	111.34	118.86	25.90	144.76	86.16	38.80	124.96
9. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान	3454	44.86	148.90	193.76	126.00	164.17	290.17	50.50	164.17	214.67
10. कार्यक्रम कार्यान्वयन	3454	1.37	...	1.37
11. आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी													
11.01 आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी – सामान्य घटक	3454	...	6.94	6.94	...	8.00	8.00
	3601	132.65	...	132.65	70.64	...	70.64	10.38	...	10.38
	3602	-0.39	...	-0.39	1.40	...	1.40
	5475	3.73	...	3.73	10.15	...	10.15	7.50	...	7.50
जोड़	...	135.99	6.94	142.93	82.19	8.00	90.19	17.88	...	17.88
11.02 आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी – ईएपी घटक	3601	33.60	...	33.60	24.00	...	24.00
	3602	1.60	...	1.60
जोड़	35.20	...	35.20	24.00	...	24.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
जोड़- आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी													
12. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं / योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	135.99	6.94	142.93	117.39	8.00	125.39	41.88	...	41.88	
13. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए ईएपी घटक	2552	35.45	...	35.45	13.50	...	13.50	
जोड़-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी		266.15	429.14	695.29	402.50	450.67	853.17	200.04	455.15	655.19	
जोड़-सांख्यिकी		266.15	446.85	713.00	402.50	468.17	870.67	200.04	474.90	674.94	
कार्यक्रम कार्यान्वयन													
14. सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052	...	5.13	5.13	...	6.20	6.20	...	6.13	6.13	
अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम													
15. राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता - विशेष केन्द्रीय सहायता													
15.01 संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्रों के लिए विकास योजना	2553	3350.00	...	3350.00	3950.00	...	3950.00	3950.00	...	3950.00	
कुल जोड़		3616.15	451.98	4068.13	4352.50	474.37	4826.87	4150.04	481.03	4631.07	4200.00	552.83	4752.83
विकास शीर्ष		बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	266.15	...	266.15	362.25	...	362.25	178.54	...	178.54	189.99	...	189.99
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	40.25	...	40.25	21.50	...	21.50	30.00	...	30.00
जोड़ - केन्द्रीय योजना		266.15	...	266.15	402.50	...	402.50	200.04	...	200.04	219.99	...	219.99
राज्य योजना:													
1. अन्य विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम	43601	3350.00	...	3350.00	3950.00	...	3950.00	3950.00	...	3950.00	3980.01	...	3980.01
जोड़ - राज्य योजना		3350.00	...	3350.00	3950.00	...	3950.00	3950.00	...	3950.00	3980.01	...	3980.01
जोड़		3616.15	...	3616.15	4352.50	...	4352.50	4150.04	...	4150.04	4200.00	...	4200.00

1. **सचिवालय - सामान्य सेवा:** यह प्रावधान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन सचिवालय के स्थापना खर्च के लिए है।

2. **संबंध/अधीनस्थ कार्यालयों को सहायता:** मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय नामतः केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय और एक अधीनस्थक कार्यालय नामतः राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय है।

2.01. **केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (संबद्ध कार्यालय):** केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो मानकीकरण, राष्ट्रीय लेख तैयार करने, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण पर रिपोर्ट प्रकाशित करने और भारत में सांख्यिकी प्रणाली के आधुनिकीकरण आदि के रीति-विधान कार्यों सहित कार्यप्रणाली के लिए जिम्मेदार है, के गैर-योजना खर्चों के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें सीएसओ की विभागीय कैटीन संबंधी वेतन खर्चों, अंतर्राष्ट्रीय अंशदान और आईएआरएनआईडब्ल्यू को अनुदान सहायता का भी प्रावधान है।

2.02. **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (अधीनस्थ कार्यालय):** यह प्रावधान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के गैर-योजना ब्यय के लिए है जिसका संबंध आंकड़ा संग्रहण के लिए एक समुचित तथा बुनियादी रूप से जुड़े कार्यक्रम का विकास करने से है जो नीति निर्माण के लिए सांख्यिकी में आंकड़ा अंतराल को भरने के लिए बनाया गया है। यह आंकड़ों के अनुपूरक संग्रहण के द्वारा अन्य मंत्रालयों/एजेंसियों की ओर से आंकड़ों के संग्रहण और सारणीयन का कार्य भी करता है। इसमें एनएसएसओ की विभागीय कैंटीन के वेतन संबंधी खर्चों की पूर्ति का प्रावधान भी है।

3. क्षमता विकास (सीडी):

3.01. **सीएसओ और एनएसएसओ का क्षमता विकास:** केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के लिए प्रावधान किया गया है जो मानकीकरण, राष्ट्रीय लेखे तैयार करने, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण पर रिपोर्ट प्रकाशित करने और भारत में सांख्यिकी प्रणाली के आधुनिकीकरण आदि के रीति-विधान कार्यों सहित कार्यप्रणाली के लिए जिम्मेदार है, जिसका संबंध आंकड़ा संग्रहण के लिए एक समुचित तथा बुनियादी रूप से जुड़े कार्यक्रम का विकास करने से है जो नीति निर्माण के लिए सांख्यिकी में आंकड़ा अंतराल को भरने के लिए बनाया गया है। यह आंकड़ों के अनुपूरक संग्रहण के द्वारा अन्य मंत्रालयों/एजेंसियों की ओर से आंकड़ों के संग्रहण और सारणीयन का कार्य भी करता है। इसमें संगणक केंद्र के लिए भी प्रावधान है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की आंकड़ा संसाधन आवश्यकताओं की देखरेख का कार्य करता है।

3.02. **आर्थिक गणना (ईसी):** प्रावधान आर्थिक गणना (ईसी) के लिए किया गया है।

3.03. **सांख्यिकीय सुदृढीकरण के लिए सहायता (एसएसएस):** सांख्यिकीय सुदृढीकरण संबंधी सहायता के लिए प्रावधान किया गया है।

4. **भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई):** भारतीय सांख्यिकी संस्थावन, सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है जो भारत सरकार से सहायता अनुदान के द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है और एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है।

5. **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स):** प्रावधान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए है और राज्यध योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के भाग के रूप में योजना में शामिल है।